केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–427)

कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट (सी बी सी) योजना का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - v**
प्रथम	अध्ययन संरचना	1–6
द्वितीय	प्रगति की समीक्षा	7–11
तृतीय	सर्वेक्षण के परिणाम	12–25
चतुर्थ	निष्कर्षं एवं सुझाव	26–28
	परिशिष्ट अ	29
	परिशिष्ट ब	30–32

*****

उद्‌बोधन

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995–96 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार सृजित करने एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ''कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट योजना'' प्रारम्भ की गई। राज्य में 1996–97 से राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से यह योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत नामांकित बैकों द्वारा 25–30 प्रतिशत मार्जिन मनी का प्रावधान करते हुये चयनित उद्यमी/संस्था/स्वयं सहायता समूह को नवीन ग्रामोद्योग इकाई की लागत की 90–95 प्रतिशत तक राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी जाती है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के अनुरोध पर कार्यक्रम से लाभान्वित इकाईयों की आय, रोजगार सृजन एवं उत्पादित माल का विपणन आदि का आंकलन करने हेतु प्रस्तुत योजना का मूल्यांकन करवाया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गये ऋण/अनुदान से ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों की नवीन इकाईयाँ स्थापित करने में अभिरूचि बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के अवसरों में वृद्धि होने से लाभान्वितों की आय पर अनुकूल प्रभाव हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन में योजना के प्रभावशाली संचालन हेतु प्रासंगिक सुझाव दिये गये हैं। मैं आशा करता हूँ कि दिये गये सुझाव क्रियान्वयन विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : अक्टूबर, 2008
स्थान : जयपुर

(यदुवेन्द्र माथुर)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है एवं राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, अतः ग्रामीण आबादी का पलायन रोकने एवं आय में वृद्धि हेतु स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास करना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। वर्ष 1996–97 में राज्य सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ''कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट योजना'' प्रारम्भ की गई है। योजना के तहत वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में 7780 इकाईयों को लाभान्वित किया गया था। महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस विभाग द्वारा यह मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

अध्ययन के परिणामों से परिलक्षित होता है कि लाभान्वितों ने स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना में अधिक रूचि ली है। चयनित इकाईयों में 81.93 प्रतिशत भागीदारी अनुसूचित जाति के उद्यमियों की रही, जो प्रसंशनीय है। उत्पादित माल के विपणन की सुचारू व्यवस्था होने से लाभान्वितों की आय में आशानुकूल वृद्धि भी हुई तथापि सर्वेक्षण के समय 48.72 प्रतिशत इकाईयों में उत्पादन नहीं होना विचारणीय है। प्रतिवेदन में ऋण प्राप्त करने, अनुदान एवं विपणन आदि में अनुभूत कठिनाईयों की विवेचना करते हुये यथास्थान प्रासंगिक सुझाव दिये गये है जो कार्यकारी विभाग के लिए योजना के प्रभावी संचालन हेतु उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : अक्टूबर,2008
स्थान : जयपुर

(मधु पोखरना)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

निष्पादक संक्षेप

भारत सरकार की नीतियों में परिर्वतन के फलस्वरूप वर्ष 1995–96 से कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट योजना लागू की गई। वर्ष 1995–96 में भारत सरकार द्वारा बजट भाषण में खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के लिए 1000.00 करोड़ रूपये बैंक कन्सोर्टियम (संकुल) क्रेडिट योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गई। यह राशि भारत सरकार की गारण्टी पर आयोग को तथा राज्य सरकार की गारण्टी पर आयोग से विभिन्न राज्य बोर्डों को सहमत बजट के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। जनवरी, 1997 से खादी को भी आयोग वित्त पोषित के बजाय बैंक वित्त की योजना से जोड़ा गया। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम/मार्जिन मनी योजना योजनान्तर्गत बैकों द्वारा सामान्य इकाई को 90 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग व अन्य पिछड़ी जाति के आवेदक को 95 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया जाता है। सामान्य श्रेणी के आवेदक को 10 प्रतिशत एवं अन्य आवेदकों को 5 प्रतिशत राशि स्वयं वहन करनी होती है। योजनान्तर्गत सामान्य इकाई को 25 प्रतिशत एवं अन्य इकाई को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी का प्रावधान है, सामान्य वर्ग को अधिकतम 4.00 लाख रूपये एवं अन्य वर्ग को 4.50 लाख रूपये मार्जिन मनी देय होगी। यह राशि दो वर्षो तक कामगार के नाम बैंक के पास शार्ट टर्म के रूप में जमा रखी जाती है एवं दो वर्ष बाद आवेदक के ऋण पेटे समायोजित किये जाने का प्रावधान है। इस योजना को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योग परियोजना स्थापित की जा सकती है। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ देय नहीं है।

I. ऋण की पात्रता :

इस योजना के तहत (1) वैयक्तिक (कारीगर उद्यमी) (2) संस्थायें/सहकारी समितियाँ एवं (3) स्वयं सहायता समूह को लाभान्वित किया जाता है।

II. अध्ययन की आवश्यकता :

इस येाजना का मूल्यांकन अध्ययन महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन 1999–2000 में की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया। महालेखाकार का वर्ष 1999–2000 का निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 से संबंधित था, अतः प्रस्तुत प्रतिवेदन में 1996–97 व 1997–98 की सूचना के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

III. अध्ययन के उद्देश्य :

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं चयन प्रक्रिया की समीक्षा।

(ii) इकाईयों को उपलब्ध करवाये गये ऋण व अनुदान की समीक्षा करना।

(iii) लाभान्वित इकाईयों से रोजगार, उत्पादन, विपणन व आय पर पूर्व व पश्चात हुए परिवर्तन की समीक्षा।

(iv) स्थापित इकाईयों में आधुनिक औजारों के उपयोग से उत्पादन व कार्यकुशलता पर पड़े प्रभाव का अध्ययन।

(v) स्थापित इकाई की वर्तमान स्थिति की समीक्षा।

(vi) इकाईयों के संचालन में आ रही कठिनाईयाँ एवं निवारण हेतु सुझाव ज्ञात करना।

IV. न्यादर्श :

अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति का उपयोग किया गया। प्रथम स्तर पर अध्ययन हेतु स्थापित इकाई की संख्या के आधार पर जिलों को घटते हुऐ क्रम में जमा कर रेण्डम विधि से 15 प्रतिशत अर्थात् पाँच जिलों यथा बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर, धौलपुर, बारां का चयन किया गया।

द्वितीय स्तर पर चयनित प्रत्येक जिले से अधिकतम स्थापित इकाइयों वाली दो–दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। तृतीय स्तर पर चयनित प्रत्येक पंचायत समिति से स्थापित इकाईयों के आधार पर अधिकतम व न्यूनतम इकाईयों वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। तत्पश्चात् चयनित ग्राम पंचायतों की कार्यशील इकाईयों में से 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 इकाईयों का साधारण न्यादर्श पद्धति से चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु 10 पंचायत समिति एवं 120 इकाईयों का चयन किया गया। चतुर्थ स्तर पर चयनित इकाईयों में से कार्यरत कामगारों में से 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 कामगारों का साधारण न्यादर्श आधार पर चयन कर अनुसूची भरी जाकर इकाई के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी।

प्रस्तुत अध्ययन में चयनित 120 इकाईयों के अतिरिक्त 38 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान उनसे प्राप्त विचारों/तथ्यों एवं वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 की प्रलेख सूचनाओं को संकलित कर विश्लेषण किया गया है।

V. प्रगति की समीक्षा :

राज्य में कन्सोर्टियम बैंक क्रेड़िट (सी.बी.सी.) योजनान्तर्गत वर्ष 1996–97 से 1997–98 तक 8250 लाभार्थियों के लक्ष्य के विपरीत 7780 (94.30 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया। अनुसूचित जाति के 3000 के लक्ष्य के विपरीत 2458 लाभार्थियों (81.93 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया।

वर्ष 1996–97 से 1997–98 तक कुल आवंटित राशि 2869.19 लाख का शत प्रतिशत उपयोग किया गया।

चयनित जिले बारां, बीकानेर, धौलपुर, नागौर, बांसवाड़ा में वर्ष 1996–97 से 1997–98 तक 1181 को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 1105(93.56 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया।

चयनित जिलों द्वारा वर्ष 1996–97 से 1997–98 तक आवंटित 145.17 लाख रुपये की राशि का शत–प्रतिशत व्यय किया गया। चयनित जिलों द्वारा वर्ष 1996–97 से 1997–98 तक 12704 लाख रुपये की राशि का ऋण वितरित किया जाकर राशि 45.33 लाख की मार्जिन मनी स्वीकृत की गयी।

VI. अध्ययन के परिणाम :

- चयनित जिलों में लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति 93.56 प्रतिशत रही। क्षेत्र में योजनान्तर्गत सबसे अधिक बांसबेत, सिलाई, कारपेन्ट्री, चर्म उद्योग एवं लुहारी के उद्योग स्थापित किये गये।
- चयनित जिलों द्वारा आवंटित राशि का शत–प्रतिशत उपयोग किया गया।
- चयनित जिलों की 35 पंचायत समितियों में 1105 लाभार्थियों को 127.04 लाख का ऋण वितरित किया गया जिस पर 45.33 लाख की मार्जिन मनी की राशि स्वीकृत की गयी जो 35.68 प्रतिशत है जबकि योजना में निहित मानदण्डनुसार यह 25 से 30 प्रतिशत है।
- चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं में से सबसे अधिक 106 (83.83प्रतिशत) उत्तरदाता 25 से 50 आयु वर्ग के थे।
- चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं में से सबसे अधिक 41 (34.17प्रतिशत) लाभप्राप्तकर्ता साक्षर व उससे कम 31(25.83 प्रतिशत) निरक्षर थे। उसके बाद प्राइमरी, मिडिल व मैट्रिक स्तर के थे। सबसे कम स्तानक योग्यता वाले थे।
- योजना का लाभ सबसे अधिक 71(59.17प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा लिया गया है।
- चयनित 120 लाभप्राप्तकर्ताओं में से 119(99.17 प्रतिशत) लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा इकाई स्थापना हेतु ऋण लिया गया। 109(90.83 प्रतिशत) द्वारा ऋण को पर्याप्त बताया गया।
- चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं में से 42.86 प्रतिशत द्वारा इकाईयों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। शेष 56.41 प्रतिशत द्वारा नहीं किया गया।

- स्थापित इकाईयों में परिवार के सदस्यों द्वारा कार्य किया जा रहा था। नियुक्त किये गये कामगारों में से कुशल कामगार को 1200/– से 2000 प्रतिमाह एवं अकुशल को 500 से 1000 तक पारिश्रमिक दिया जा रहा है।
- आधुनिकीकरण वाली शत प्रतिशत इकाईयों में कार्य कुशलता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा जिसके अन्तर्गत आसानी से कम समय में, कार्य क्षमता में वृद्धि होना पाया गया।
- सर्वेक्षित इकाईयों में से 51.28 प्रतिशत इकाईयों में उत्पादन हो रहा था। शेष 48.72 प्रतिशत में नहीं हो रहा था।
- सर्वेक्षित इकाईयों में से सर्वेक्षण में पाया कि सिलाई, बांसबेत,सुथारी व लुहारी उद्योग में उत्पादन हो रहा था। 96.67 प्रतिशत इकाईयों द्वारा क्षेत्र की मांग के अनुरूप उत्पादन किया जा रहा है।
- उत्पादित माल का विपणन आर्डर पर, ठेला लगा कर, स्थानीय व शहर आने जाने वाली जनता द्वारा खरीद, साप्ताहिक हाट व मेले में प्रदर्शनी के द्वारा किया जाता है।
- क्षेत्र में स्थापित की गयी इकाई की आय से 52(86.67प्रतिशत) लाभार्थी संतुष्ट थे।
- स्थापित इकाई से आय में वृद्धि के फलस्वरूप जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लाभार्थियों के रहन–सहन व सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है।
- योजनान्तर्गत ऋण व अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अनुदान नकद न दिया जाकर लाभार्थी के बचत खाते में रेखांकित चैक द्वारा 25 प्रतिशत ऋण चुकाने के बाद जमा किया जाता है। ऋण पर 12 से 17 प्रतिशत तक ब्याज वसूला जाता है।
- स्थापित इकाईयों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। चयनित 55.26 प्रतिशत अधिकारी/गैर अधिकारियों के अनुसार स्थापित इकाई चालू है।

VII. कठिनाईयाँ :

1. ऋण प्राप्त करने में बहुत समय लगता है क्योंकि औपचारिताऐं बहुत है।
2. अनुदान कम है, ब्याज अधिक है।
3. पर्याप्त ऋण नहीं मिलने की स्थिति में लाभार्थी को स्वयं व्यवस्था करनी पड़ती है।

VIII. सुझाव :

1. औपचारिकता कम कर ऋण शीघ्र दिलवाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. अनुदान राशि बढ़ायी जानी चाहिए।
3. ऋण राशि आवश्यकतानुसार स्वीकृत की जानी चाहिए जिससे लाभार्थी को अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़े ।

IX. निष्कर्ष :

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि योजना हेतु वर्ष 1996–97 से 1997–98 तक योजनान्तर्गत प्रगति ठीक रही। इस हेतु आवंटित राशि का शतप्रतिशत उपयोग किया गया। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में योजना का लाभ सबसे अधिक बांसबेत, सिलाई,कारपेन्ट्री, चर्म उद्योग एवं लुहारी की इकाईयाँ को स्थापित करने में लिया गया। क्षेत्र की मांग के अनुरूप इकाईयाँ स्थापित की गयी। स्थापित इकाई से नियमित आय हो रही है एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

———

अध्याय प्रथम

अध्ययन संरचना

1.0 **योजना की पृष्ठभूमि** :

1.1 देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना केन्द्रीय सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम देश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है।

1.2 वर्ष 1995–96 से पूर्व खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के संचालन, विकास एवं विस्तार के लिए वांछित धनराशि खादी ग्रामोद्योग आयोग से ऋण एवं अनुदान के रूप में निर्धारित पेटर्न एवं पूर्व सहमत वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर उपलब्ध होती थी। भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन के फलस्वरूप वर्ष 1995–96 से कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट योजना लागू की गई। वर्ष 1995–96 में भारत सरकार द्वारा बजट भाषण में खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के लिए 1000.00 करोड़ रूपये बैंक कन्सोर्टियम (संकुल) क्रेडिट योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गई। यह राशि भारत सरकार की गारण्टी पर आयोग को तथा राज्य सरकार की गारण्टी पर आयोग से विभिन्न राज्य बोर्डों को सहमत बजट के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। जनवरी 1997 से खादी को भी आयोग वित्त पोषित के बजाय बैंक वित्त की योजना से जोड़ा गया। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी योजना) योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा सामान्य इकाई को 90 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग व अन्य पिछड़ी जाति के आवेदक को 95 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया जाता है। सामान्य श्रेणी के आवेदक द्वारा 10 प्रतिशत एवं अन्य उपरोक्त प्रकार के आवेदकों को 5 प्रतिशत राशि स्वयं की वहन करनी होती है। सामान्य इकाई को 25 प्रतिशत एवं अन्य इकाई को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी का प्रावधान है, अधिकतम सामान्य वर्ग को 4.00 लाख रूपये एवं अन्य वर्ग को 4.50 लाख रूपये देय होगी। यह राशि दो वर्षों तक कामगार के नाम बैंक के पास शॉर्ट टर्म (Short Term Deposit) के रूप में जमा रखी जाती है एवं दो वर्ष बाद आवेदक के ऋण पेटे समायोजित किये जाने का प्रावधान है। इस योजना को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है।

1.3 **योजना का स्वरूप** :

1. **परियोजना की पात्रता** :

योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योग परियोजना स्थापित की जा सकती है। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ देय नहीं है।

2. **पात्र गतिविधियाँ** :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी नकारात्मक सूची में प्रकाशित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योग इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जा सकेंगे। ग्रामीण उद्योग का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो एवं जिसमें प्रति कारीगर स्थाई पूंजी निवेश रूपये 50,000 से अधिक नही होना चाहिए।

3. **ऋण के लिए पात्रता** :

इस योजना के तहत (1) वैयक्तिक (कारीगर उद्यमी) 2. संस्थायें/सहकारी समितियाँ एवं (3) स्वयं सहायता समूह को लाभान्वित किया जाता है।

4. **उद्योग की अधिकतम लागत सीमा** :

व्यक्तिगत इकाई, संस्थाओं, सहकारी समिति, न्यास एवं स्वयं सहायता समूह के लिए उद्योग की अधिकतम सीमा परियोजना लागत 25.00 लाख तक सीमित है।

5. **योजना का सेवा क्षेत्र** :

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित है, ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य ऐसा कोई भी वर्गीकृत क्षेत्र जो राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश पके राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांव की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र जो कस्बे के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हो लेकिन जिसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से अधिक न हो।

6. **ऋणदात्री संस्थाएँ** :

कार्यक्रम क्रियान्विति हेतु पात्रताधारी आशार्थी निम्न बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

7. **बैंक** :

(i) समस्त सार्वजनिक बैंक
(ii) समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(iii) राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक
(iv) राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अनुमोदित निजी वाणिज्यिक बैंक

8. **आयोजनकर्ता (स्पोन्सरशिप)** :

किसी एजेन्सी द्वारा परियोजना को प्रायोजित करना अनिवार्य नहीं है, तथापि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य /क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडल/डी.आई.सी. परियोजना का प्रायोजन उद्यमी की अनुशंषा पर कर सकते हैं।

9. **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.डी.पी.)** :

बैंक की किसी भी शाखा द्वारा परियोजना को मंजूरी देने के बाद उद्यमी को दूसरी किश्त जारी होने से पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य/क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध है जिसे प्राप्त करना अनिवार्य है।

10. **खादी बोर्ड द्वारा प्रदत्त मार्जिन मनी** :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 10.00 लाख रूपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना की लागत की 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। 10.00 लाख रूपये से अधिक एवं 25.00 लाख रूपये तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी राशि परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। कमजोर वर्ग के लाभार्थियों अर्थात अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों/संस्थाओं तथा पर्वतीय सीमावर्ती एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए मार्जिन मनी राशि (अनुदान) रूपये 10.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए 30 प्रतिशत तथा परियोजना की शेष लागत के लिए 10 प्रतिशत है।

11. **उद्यमी का अँशदान** :

इस योजना के अन्तर्गत उद्यमी को निवेश के रूप में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपना योगदान करना होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय एवं अन्य कमजोर वर्ग के उद्यमियों के मामले में यह योगदान (स्वयं का अंशदान) परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है।

12. **बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि** :

बैंक सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि तथा कमजोर वर्ग के लाभगृहियों/संस्थाओं के मामले में 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत कर भुगतान कर सकता है। परियोजना की लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं होती है।

13. **मार्जिन मनी का भुगतान** :

बैंक द्वारा क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति के पश्चात् मार्जिन मनी की उपयुक्त राशि ऋणदात्री बैंक शाखा में उद्यमी के नाम 2 वर्ष की मियादी जमा में रखनी होती है।

जिसको ऋण की प्रथम किश्त की भुगतान तारीख से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् तक उद्यमी ऋणि के खाते में जमा रखना होता है।

14. एक लाख रूपये तक की परियोजनायें पंचायत समिति स्तर से एवं एक लाख रूपये से ऊपर की परियोजनाएँ जिला स्तर से संबंधित सेवा क्षेत्र बैंकों को अभिशंषित की जाती है।

1.4 **अध्ययन की आवश्यकता** :

इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवदेन 1999–2000 में की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया। महालेखाकार का निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 वर्ष 1996–97 से संबंधित था । अतः प्रस्तुत प्रतिवदेन में 1996–97 व 1997–98 की सूचना के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

1.5 **अध्ययन के उद्धेश्य** :

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं चयन प्रक्रिया की समीक्षा
(ii) इकाईयों को उपलब्ध करवाये गये ऋण व अनुदान की समीक्षा करना
(iii) लाभान्वित इकाईयों से रोजगार, उत्पादन एवं विपणन व आय पर पूर्व व पश्चात हुए परिवर्तन की समीक्षा
(iv) स्थापित इकाईयों में आधुनिक औजारों के उपयोग से उत्पादन व कार्यकुशलता पर पड़े प्रभाव का अध्ययन
(v) स्थापित इकाई की वर्तमान स्थिति की समीक्षा
(vi) इकाईयों के संचालन में आ रही कठिनाईयों एवं निवारण हेतु सुझाव ज्ञात करना

1.6 **न्यादर्श** :

अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धत्ति का उपयोग किया गया। प्रथम स्तर पर अध्ययन हेतु स्थापित इकाई की संख्या के आधार पर जिलों को घटते हुए क्रम में जमा कर रेन्डम विधि से 15 प्रतिशत अर्थात् पाँच जिलों यथा बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर, धौलपुर एवं बारां जिलों का चयन किया गया।

द्वितीय स्तर पर चयनित प्रत्येक जिले से दो–दो पंचायत समितियों का चयन उपरोक्तानुसार किया गया। तृतीय स्तर पर चयनित प्रत्येक पंचायत समिति से स्थापित इकाईयों के आधार पर अधिकतम व न्यूनतम इकाईयों वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। तत्पश्चात चयनित ग्राम पंचायतों की कार्यशील इकाईयों में से 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 इकाइयों का साधारण न्यादर्श पद्धति से चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु निम्न न्यादर्श का चयन किया गया–

अध्ययन हेतु चयनित न्यादर्श

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित पंचायत समिति का नाम	कुल इकाईयाँ/लाभान्वितों की संख्या
1	बारां	अन्ता बारा	**17**
2.	बीकानेर	कोलायत डूंगरगढ़	**26**
3.	धौलपुर	धौलपुर राजखेड़ा	**28**
4.	नागौर	मुंडवा कुचामन सिटी	**22**
5.	बांसवाड़ा	तलवाड़ा घाटोल	**27**
	योग		**120**

चतुर्थ स्तर पर चयनित इकाइयों में से कार्यरत कामगारों में से 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 कामगारों का साधारण न्यादर्श आधार पर चयन कर अनुसूची भरी जाकर इकाई के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी।

1.7 **अनुसूचियाँ** :

अध्ययन हेतु निम्न अनुसूचियों का उपयोग किया गया।

1. **राज्य प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची में राज्य स्तर पर योजनान्तर्गत की गयी प्रगति का विवरण प्राप्त किया गया।

2. **जिला/पंचायत समिति प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची में जिले स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर योजनान्तर्गत हुई प्रगति का विवरण प्राप्त किया गया।

3. **लाभ प्राप्तकर्ता अनुसूची**

इस अनुसूची में लाभप्राप्तकर्ता द्वारा स्थापित इकाई के संबंध में विवरण प्राप्त किया गया।

4. **अवलोकन अनुसूची** :

इस अनुसूची में स्थापित इकाई का भौतिक सत्यापन कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता द्वारा भरी गयी।

5. **अधिकारी/गैर अधिकारी अनुसूची** :

यह अनुसूची विकास अधिकारी/प्रधान/सरपंच एवं पंचायत समिति स्तर पर नियुक्त योजना के प्रभारी आदि से भरी गयी।

6. **बैंक अनुसूची** :

यह अनुसूची सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक से भरी गयी।

1.8 **सन्दर्भ वर्ष** :

अध्ययन महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 की सिफरिश पर किया गया । अतः मूल्यांकन हेतु वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 की सूचना एकत्रित की गयी। लाभान्वितों व अधिकारियों/गैरअधिकारियों के विचार सर्वेक्षण दिनांक से संबंधित है। अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य माह सितम्बर, 2007 में किया गया ।

अध्याय द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट (सी.बी.सी.) योजना के अन्तर्गत की गयी प्रगति का विवरण प्रस्तुत अध्याय में दिया गया है।

योजनान्तर्गत की गई राज्य स्तरीय प्रगति का विवरण निम्न मदों में प्रस्तुत किया जा रहा है–

2.1 भौतिक प्रगति :

कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट (सी.बी.सी) योजना के अन्तर्गत की गयी भौतिक प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

क्र.स	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	अनुसूचित जाति	
				लक्ष्य	उपलब्धि
1.	1996–97	4000	4094	1500	1477
2.	1997–98	4250	3686	1500	981
	योग प्रतिशत	8250	7780 94.30	3000	2458 81.93

2.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत वर्ष 1996–97 से 1997–98 मे कुल लक्ष्य 8250 लाभान्वितों के विपरीत 7780 को लाभान्वित किया गया जो 94.30 प्रतिशत है। कुल लाभान्वितों में से अनुसूचित जाति के 3000 के लक्ष्य के विरूद्ध 2458 को लाभान्वित किया गया जो 81.93 प्रतिशत है। अर्थात् प्रगति संतोषजनक रही।

2.3 वित्तीय प्रगति :

योजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	व्यय	शेष
1.	1996–97	1561.13	1561.13	
2.	1997–98	1308.06	1308.06	
	योग प्रतिशत	2869.19	2869.19 100	

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1996–97 से वर्ष 1997–98 तक आवंटित 2869.19 लाख की राशि का शत प्रतिशत उपयोग किया गया।

2.4 चयनित जिलों में योजनान्तर्गत की गयी प्रगति का विवरण :

भौतिक प्रगति :

उक्त योजना के अन्तर्गत की गयी भौतिक प्रगति का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है –

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार प्रगति					
		1996–97		1997–98		योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	बारां	69	36	43	–	112	36
2.	बीकानेर	212	212	41	41	253	253
3.	धौलपुर	51	51	10	10	61	61
4.	नागौर	186	186	47	47	233	233
	बांसवाड़ा	434	434	88	88	522	522
5.	योग प्रतिशत	**952**	**919**	**229**	**186**	**1181**	**1105** **93.56**

उपरोक्त तालिका के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता हे कि वर्ष 1996–97 से 1997–98 तक चयनित जिलों में योजनान्तर्गत कुल 1181 को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 1105(93.56 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया।

2.5 लाभान्वितों का उद्योगवार विवरण

चयनित जिलों में लाभान्वितों का उद्योगवार एवं जातिवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

उद्योगवार लाभान्वितों का विवरण
वर्ष 1996–97 से 1997–98 की उद्योगवार प्रगति

क्र. सं.	उद्योग	बारां		बीकानेर		धौलपुर		नागौर		बांसवाड़ा		योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	ल.	उप.	ल.	उप.	ल.	उप.	ल.	उप.	ल.	उप.
1.	बांसवेत	35	6	29	29	25	25	15	15	191	191	295	266
2.	सिलाई	20	9	57	57	14	14	32	32	37	37	160	149
3.	चर्म	11	2	16	16	6	6	64	64	6	6	103	94
4.	कारपेन्ट्री	7	2	10	10	2	2	24	24	97	97	140	135
5.	इलेक्ट्रोनिक	2	1	10	10	1	1	1	1	7	7	21	20
6.	लुहारी	6	2	12	12	3	3	25	25	54	54	100	96
7.	कुम्हारी	—	—	20	20	4	4	11	11	1	1	36	36
8.	आटा चक्की	—	—	22	22	2	2	—	—	11	11	35	35
9.	मिठाई	2	1	7	7	—	—	3	3	2	2	14	13
10.	अन्य	29	13	70	70	4	4	58	58	116	116	277	261
	योग	**112**	**36**	**253**	**253**	**61**	**61**	**233**	**233**	**522**	**522**	**1181**	**1105**
	प्रतिशत												**93.56**

तालिका के उद्योगवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में विभिन्न उद्योग लगाने के 1181 लाभान्वितों के लक्ष्य के विरूद्ध 1105 (93.56 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया।

तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि 1105 लाभार्थियों द्वारा लगायी गयी इकाईयों में से सबसे अधिक इकाईयाँ क्रमशः बॉसबेत 266(24.07 प्रतिशत), सिलाई 149(13.48प्रतिशत),कारपेन्ट्री 135(12.21प्रतिशत), चर्म उद्योग 94 (83.00 प्रतिशत) व लुहारी 96(8.68) उद्योग मुख्य रूप से लगाये गये । चयनित जिलों में लगायी गई अन्य इकाईयों में विभिन्न व्यवसायों के अन्तर्गत व्यापार, सेवा एवं उत्पादन से संबंधित इकाईयाँ सम्मिलित थी जिसमें चूना उद्योग, मसाला, आलू पापड़, मोमबत्ती उत्पादन, ताड़पत्ती, ज्वैलरी, फोटोग्राफी, हालो ब्लाक, वैल्डिंग एवं आटो रिपेयर प्रमुख है। अतः स्पष्ट है कि इकाईयाँ क्षेत्र की मांग के अनुरूप स्थापित की गयी।

2.6. बारां जिले को छोड़कर शेष चयनित चारों जिलों में उपलब्धि लक्ष्यों के बराबर रही है। बारां जिले के अधिकांश उद्योगों की प्रगति लाभ से कम रही है। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

2.7 योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जातियों का उद्योगवार विवरण :

चयनित जिलों में वर्ष 1996–97 से 1997–98 के 1181 लक्ष्य के विरूद्ध 1105 इकाईयाँ स्थापित की गयी जिसमें अनुसूचित जाति के द्वारा 425(38.46प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति द्वारा 292(26.43प्रतिशत) व 388 (35.11प्रतिशत) अन्य जाति के द्वारा लगाई गयी। (परिशिष्ट–अ)

2.8 चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति :

योजनान्तर्गत वर्ष 1996–97 से 1997–98 तक की गयी वित्तीय प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार प्रगति					
		1996–97		1997–98		योग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	बारां	4.74	4.74	–	–	4.74	4.74
2.	बीकानेर	18.49	18.49	3.43	3.43	21.92	21.92
3.	धौलपुर	4.00	4.00	4.29	4.29	8.29	8.29
4.	नागौर	38.96	38.96	19.30	19.30	58.26	58.26
5.	बांसवाड़ा	35.57	35.57	16.39	16.39	51.96	51.96
	योग	**101.76**	**101.76**	**43.41**	**43.41**	**145.17**	**145.17**
	प्रतिशत						**100.00**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में योजनान्तर्गत कुल राशि 145.17 लाख आवंटित की गयी जिसके विपरीत शत–प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया।

2.9 चयनित जिलों में ऋण व मार्जिन मनी का विवरण–

चयनित जिलों में पंचायत समितियों द्वारा किये गये लाभान्वितों, ऋण वितरण एवम् मार्जिन मनी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति संख्या	लाभ प्राप्तकर्ता का विवरण			ऋण का विवरण			मार्जिन मनी		
			96–97	97–98	योग	96–97	97–98	योग	96–97	97–98	योग
1.	बारा	7	36	–	36	3.39	–	3.39	1.35	–	1.35
2.	बीकानेर	5	212	41	253	28.95	7.12	36.07	9.79	2.25	12.04
3.	धौलपुर	4	51	10	61	2.81	2.91	5.72	1.12	0.49	1.61
4.	नागौर	11	186	47	233	30.33	13.61	43.94	10.63	5.67	16.30
5.	बांसवाड़ा	8	434	88	522	26.46	11.46	37.92	9.10	4.93	14.03
	योग	35	919	186	1105	91.94	35.10	127.04	31.99	13.34	45.33
	प्रतिशत										35.68

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में कुल 35 पंचायत समितियों में 1105 को लाभान्वित कर 127.04 लाख की राशि का ऋण वितरित किया गया एवं 45.33 लाख की राशि मार्जिन मनी के रूप में स्वीकृत की गयी जो वितरित ऋण का 35.68 प्रतिशत है। जबकि योजना में 25 प्रतिशत मार्जिन का प्रावधान है। अर्थात् मार्जिन मनी अधिक स्वीकृत की गयी।

सर्वेक्षण में पाया गया कि चयनित शत प्रतिशत जिलों में लाभप्राप्तकर्ता का चयन एवं ऋण योजना में निहित पात्रता के अनुसार उद्यमी को स्वीकृत किया गया ।

अध्याय तृतीय

सर्वेक्षण के परिणाम

3.0 कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट (सी.बी.सी) योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु योजना से लाभ प्राप्त कर रहे लाभप्राप्तकर्ताओं के विचार प्राप्त किये जिसका विवरण इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं का विवरण –

अध्ययन हेतु चयनित किये गये लाभप्राप्तकर्ताओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र. सं.	चयनित जिला	लाभप्राप्तकर्ता की संख्या	आयु का विवरण		
			25 वर्ष	25–50	50 से अधिक
1.	बांसवाड़ा	27	–	25	2
2.	बारां	17	2	13	2
3.	बीकानेर	26	–	24	2
4.	धौलपुर	28	–	24	4
5.	नागौर	22	–	20	2
	योग	**120**	**2**	**106**	**12**
	प्रतिशत		**1.67**	**88.33**	**10.00**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 120 उत्तरदाताओं में से क्रमशः 2(1.67 प्रतिशत) 25 वर्ष की आयु के थे, 106(88.33 प्रतिशत) 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के एवं 12(10 प्रतिशत) 50 वर्ष से अधिक आयु के थे।

3.2 चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं की योग्यता का विवरण–

चयनित उत्तरदाताओं की योग्यता का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र.सं	चयनित जिला	उत्तरदाता की संख्या	योग्यता का विवरण					
			निरक्षर	साक्षर	प्राइमरी	मीडिल	मैट्रिक	बी.ए
1.	बासंवाडा	27	15	7	2	2	1	–
2.	बारां	17	3	–	2	6	5	1
3.	बीकानेर	26	–	15	7	2	1	1
4.	धौलपुर	28	6	9	5	4	4	–
5.	नागौर	22	7	10	1	2	2	–
	योग	**120**	**31**	**41**	**17**	**16**	**13**	**2**
	प्रतिशत		**25.83**	**34.17**	**14.17**	**13.33**	**10.83**	**1.67**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता हे कि चयनित उत्तरदाताओं में से 41(34.17 प्रतिशत) साक्षर, 31(25.83 प्रतिशत) निरक्षर एवं 17(14.17प्रतिशत) प्राइमरी व 16(13.33 प्रतिशत) मिडिल योग्यता वाले थे। इसके अतिरिक्त 13(10.83 प्रतिशत) मैट्रिक व 2(1.67 प्रतिशत) स्नातक स्तर के लाभ प्राप्तकर्ता थे।

3.3 लाभ प्राप्तकर्ताओ का जातिवार विवरण–

चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं का जातिवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र.सं.	चयनित जिला	लाभ प्राप्तकर्ता की संख्या	जाति का विवरण				
			अनु.जाति	अनु. जनजाति	ओ.बी.सी	अन्य	अल्प संख्यक
1.	बासंवाडा	27	14	10	3	–	–
2.	बारां	17	9	1	6	–	1
3.	बीकानेर	26	12	–	10	4	–
4.	धौलपुर	28	25	–	2	1	–
5.	नागौर	22	11	–	7	–	4
	योग	**120**	**71**	**11**	**28**	**5**	**5**
	प्रतिशत		**59.17**	**9.16**	**23.33**	**4.17**	**4.17**

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में चयनित उत्तरदाताओं में से 71(59.17 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के, 11(9.16 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के एवं 28(23.33 प्रतिशत) ओ.बी.सी. के व 5–5 (4.17 प्रतिशत) अन्य एवं अल्प संख्यक समुदाय के थे अर्थात योजना का अधिकतम लाभ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा लिया गया ।

चयनित 120 उत्तरदाताओं में से 117 (97.50 प्रतिशत) द्वारा इकाई स्थापित की गयी शेष 3(2.50 प्रतिशत) द्वारा नहीं की गयी। इन तीन लाभार्थियों में 2 धौलपुर जिले के एवं 1 बारां जिले का लाभार्थी था।

3.4 स्थापित की गयी इकाईयों का विवरण–

लाभान्वितों द्वारा स्थापित की गयी इकाईयों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र.सं.	स्थापित इकाईयाँ	बांसवाड़ा	बारां	बीकानेर	धौलपुर	नागौर	योग
1.	रसवन्ती	2	–	–	–	–	2 1.67
2.	आर्ट केयर	3	–	–	–	–	3 2.50
3.	सुथारी	7	–	1	–	2	10 8.33
4.	लुहारी	2	–	1	1	5	9 7.50
5.	ताड़पत्ती	2	–	–	–	–	2 1.67
6.	बांसबेत	9	4	4	15	–	32 26.67
7.	कुम्हारी	1	–	5	2	–	8 6.67
8.	सिलाई	1	6	6	7	4	24 20.00
9.	वेल्ड़िग	–	4	–	–	–	4 3.32
10.	नाई	–	2	1	–	–	3 2.50
11.	मिठाई	–	–	2	–	–	2 1.67
12.	साईकिल मरम्मत	–	–	2	–	–	2 1.67
13.	इलेक्ट्रिकल	–	–	2	–	1	3 2.50
14.	चर्म उद्योग	–	–	–	1	7	8 6.67
15.	मसाला उद्योग	–	–	–	–	1	1 0.83
16.	धोबी	–	–	–	–	1	1 0.83
17.	हॉलो ब्लाक	–	–	2	–	–	2 1.67
18.	मशीनरी वर्क उद्योग	–	–	–	–	1	1 0.83
19.	कोई उत्तर नहीं (NR)	–	1	–	2	–	3 2.50
	योग	**27**	**17**	**26**	**28**	**22**	**120**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से सबसे अधिक 32(26.67 प्रतिशत) ने बॉसबेत का उद्योग स्थापित किया। इसके अतिरिक्त 24(20.00 प्रतिशत) ने सिलाई एवं 10(8.33 प्रतिशत) ने सुथारी की दुकान स्थापित की व 9 (7.50 प्रतिशत) ने लुहारी , प्रत्येक 8(6.67 प्रतिशत) ने कुम्हारी एवम् चर्म उद्योग स्थापित किया, 3(2.50 प्रतिशत)द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.5 ऋण प्राप्त का विवरण–

लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा इकाई स्थापना हेतु लिये गये ऋण का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र.सं.	जिला	उत्तरदाता संख्या	ऋण लिया		ऋण पर्याप्त	
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1.	बांसवाड़ा	27	27	–	27	–
2.	बारां	17	16	1	10	7
3.	बीकानेर	26	26	–	25	1
4.	धौलपुर	28	28	–	28	–
5.	नागौर	22	22	–	19	3
	योग प्रतिशत	**120**	**119** **99.17**	**1** **0.83**	**109** **90.83**	**11** **9 17**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में चयनित 120 उत्तरदाताओं में से 119(99.17 प्रतिशत) ने इकाई स्थापना हेतु ऋण लिया शेष 1(0.83 प्रतिशत) ने नहीं लिया। सर्वेक्षण में जिन उत्तरदाताओं ने ऋण लिया उनमें से 109 (90.83 प्रतिशत) ने ऋण को उपयुक्त बताया व 11(9.17 प्रतिशत) ने उपयुक्त नहीं बताया।

3.6 राशि को पर्याप्त नहीं बताने वाले 11 लाभार्थियों को उनके उद्योग की लागत की तुलना में कम ऋण प्राप्त हुआ था। 11 लाभार्थियों द्वारा कुल ऋण की आवश्यकता/लागत के विरूद्ध प्राप्त ऋण का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या	उद्योग की लागत,ऋण की आवश्यकता	प्राप्त ऋण राशि	ऋण की अतिरिक्त आवश्यकता	ऋण की व्यवस्था की गयी स्वयं के द्वारा	अन्य
1.	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	–
2.	बारां	4 1 2	0.50 0.18 0.12	0.45 0.08 0.05	0.05 0.10 0.07	4 – 2	– 1
3.	बीकानेर	1	0.25	0.14	0.11	–	1
4.	धौलपुर	–	–	–	–	–	–
5.	नागौर	1 1 1	0.30 0.55 0.095	0.21 0.09 0.07	0.09 0.46 0.025	– – –	1 1 1
	योग प्रतिशत	11				6	5

ऋण राशि को उपयुक्त नहीं बताने वाले 11 उत्तरदाताओं में से क्रमशः 4 (36.36 प्रतिशत) को 45,000 का ऋण कुल लागत 50,000 के विरूद्ध प्राप्त हुआ 1 (9.09 प्रतिशत) को कुल लागत 18,000 के विरूद्ध 8010 की राशि प्राप्त हुई । 2 (18.18प्रतिशत) को 12000 की लागत में से 5000 की राशि प्राप्त हुई । 1 (9.09 प्रतिशत) को 14,000 ऋण 25,000 की लागत के विरूद्ध प्राप्त हुआ। 1 (9.09प्रतिशत) को 30,000 की लागत के विरूद्ध 20500 की ऋण राशि प्राप्त हुई, 1 (9.09 प्रतिशत) को 9000 की राशि कुल लागत 55000 के विरूद्ध प्राप्त हुई 1 (9.09प्रतिशत) को 7000 की राशि 9500 की लागत के विपरीत प्राप्त हुई। सर्वेक्षण में बताया गया कि शेष राशि की व्यवस्था स्वयं के स्तर से की गई। चयनित उत्तरदाताओं में से चार द्वारा पाँच हजार, प्रत्यक एक–एक द्वारा क्रमशः 9900, 9500, 46000, 2500 की राशि की व्यवस्था की गयी, केवल दो द्वारा 7500/– की राशि की व्यवस्था की गयी।

3.7 स्थापित इकाई में आधुनिक तकनीक के उपयोग के संबंध में–

क्षेत्रीय कार्य में चयनित 120 लाभप्राप्तकर्ताओं में से 119 (99.17 प्रतिशत) द्वारा ऋण लिया गया व 1(0.83 प्रतिशत) द्वारा नहीं लिया गया । जिसमें से 117 (98.32प्रतिशत) द्वारा इकाई स्थापित की गई । धौलपुर में शेष 2 (1.68 प्रतिशत) में ऋण तो लिया परन्तु घरेलू कार्य में उपयोग लिया गया। स्थापित इकाईयों में से 51(42.86 प्रतिशत) द्वारा बताया गया कि इकाई में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया व 66(56.41 प्रतिशत) द्वारा नहीं किया गया । जिन इकाईओं द्वारा आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं किया गया उनमें से 1(1.52 प्रतिशत) ने मशीन खरीदी ही नहीं केवल दर्शायी गयी । ऋण धरेलू कार्य में खर्च किया गया, 64(96.97प्रतिशत) ने स्थानीय मांग के अनुरूप कार्य किया। आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं था। हाथ के उपकरण लगाये गये। 1(1.51प्रतिशत) ने चुनाई में काम आने वाले औजार क्रय किये।

3.8 इकाई के आधुनिकीकरण से कार्य कुशलता पर पड़े प्रभाव का विवरण–

सर्वेक्षण में इकाई के आधुनिकरण से कार्य कुशलता पर पड़े प्रभाव की जानकारी प्राप्त की गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्रं. सं.	जिला	उत्तरदाता संख्या	कार्य कुशलता पर प्रभाव		हाँ तो किस प्रकार (कोड)	
			हाँ	नहीं	कार्य आसानी से होना	कार्य क्षमता में वृद्धि
1.	बांसवाड़ा	4	4	–	4	–
2.	बारां	12	12	–	12	–
3.	बीकानेर	20	20	–	20	–
4.	धौलपुर	3	3	–	3	–
5.	नागौर	12	12	–	9	9
	योग	**51**	**51**	**–**	**48**	**9**
	प्रतिशत		**100**		**94.12**	**17.64**

नोट– एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में स्थापित इकाईयों का आधुनिकरण करने वाले शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ना स्वीकारा। प्रभाव के अर्न्तगत 48(94.12 प्रतिशत) ने कार्य आसानी से कम समय में हो जाता है। 9(17.64 प्रतिशत) ने कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य अधिक होना व्यक्त किया।

3.9 स्थापित की गई इकाईयों में कार्यरत कामगारों का विवरण–

चयनित 117 इकाईयों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 26 इकाईयों में लाभप्राप्तकर्ता स्वयं ही कार्य कर रहे थे और उन्होंने किसी भी प्रकार के कुशल/अकुशल कारीगारों को काम पर नहीं लगा रखा था। लेकिन 91 इकाईयों में

91 कुशल व 10 अकुशल श्रमिक कार्यरत थे जिनका जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

क्र.सं.	जिला	इकाईयों की संख्या	कुशल कारीगर		अकुशल कारीगर	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	बांसवाड़ा	27	26	13	3	1
2.	बारां	16	7	—	—	—
3.	बीकानेर	26	26	4	6	—
4.	धौलपुर	26	2	—	स्वयं करते है	स्वयं करते है
5.	नागौर	22	7	6	—	—
	योग प्रतिशत	117	68 74.73	23 25.27	9 90.00	1 10.00

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में चयनित इकाईयों में कुल 68 (74.73 प्रतिशत) कुशल पुरूष कामगार एवं 23(25.27 प्रतिशत) कुशल महिला कामगार कार्यरत थे। अकुशल कामगारों में 9 (90.00 प्रतिशत) पुरूष व 1 (10.00 प्रतिशत) महिला थी। चयनित इकाईयों के सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकतर इकाईयों के सदस्य स्वयं कार्य कर रहे थे। जिन कामगारों को नियुक्त किया गया । उनमें से कुशल कामगार को 1200/– से 2000/– प्रति माह एवम् अकुशल को 500/– से 1000/– तक पारिश्रमिक दिया जा रहा था।

3.10 स्थापित इकाई में उत्पादन का विवरण–

क्षेत्रीय कार्य के दौरान स्थापित की गयी इकाई में हो रहे उत्पादन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता संख्या	इकाई में उत्पादन		नहीं तो कारण					
			हाँ	नहीं	1	2	3	4	5	6
1.	बांसवाड़ा	27	27	–	–	–	–	–	–	–
2.	बारां	16	8	8	–	–	8	–	–	–
3.	बीकानेर	26	7	19	–	–	19	–	–	–
4.	धौलपुर	26	8	18	–	–	2	16	–	–
5.	नागौर	22	10	12	1	1	4	–	5	1
	योग	**117**	**60**	**57**	**1**	**1**	**33**	**16**	**5**	**1**
	प्रतिशत		**51.28**	**48.72**	**1.75**	**1.75**	**57.90**	**28.08**	**8.77**	**1.75**

नोट– एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

कोड–1

1– अधिकतर कार्य सड़क पर किया जाता है, दरवाजे, खिड़की, पलंग, जालिया आर्डर पर बनाये जाते है।

2– पत्थरों की कारीगरी का कार्य स्वयं दूसरी जगह करते है, कभी–कभी मूर्ति बनाकर बेचते है।

3– सिलाई कार्य कम मात्रा में आने से पर्याप्त आय नहीं होती बन्द कर दी।

4– निर्माण सामग्री नहीं मिलती।

5– स्थापित इकाई से किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। ग्राहकों के कपड़े सिले जाते है।

6– इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं को थोक में खरीद कर फुटकर बेचते है।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित लाभान्वितों में से 60(50.00 प्रतिशत) द्वारा स्थापित इकाई में उत्पादन होना व 57(47.50 प्रतिशत) ने उत्पादन नहीं होना बताया ।

सर्वेक्षण में जिन इकाईयों में उत्पादन नहीं हो रहा है। उनसे कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। जानकारी में क्रमशः 1(1.75 प्रतिशत) ने अधिकतर कार्य सड़क पर किया जाना, 1(1.75प्रतिशत) ने पत्थरों की कारीगरी का कार्य, 33 (57.89प्रतिशत) ने सिलाई का कार्य कम मात्रा में आने से, 16(28.07प्रतिशत) ने निर्माण सामग्री नहीं मिलने से, 5 (8.77प्रतिशत) ने स्थापित इकाई में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होना, 6(1.75प्रतिशत) ने थोक इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुऐं खरीद कर फुटकर बेचना। इत्यादि कारण व्यक्त किये गये।

3.11 कार्यशील इकाईयों का व्यवसाय वार विवरण –

स्थापित की गयी इकाईयों का व्यवसाय वार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र. सं.	उद्योग	बांसवाड़ा	बारां	बीकानेर	धौलपुर	नागौर	योग
1.	रसवन्ती	2	–	–	–	–	2 3.33
2.	आर्ट केयर	3	–	–	–	–	3 5.00
3.	सुथारी	7	–	1	–	–	8 13.33
4.	लुहारी	2	–	–	–	4	6 10.00
5.	ताड़पत्ती	2	–	–	–	–	2 3.33
6.	बांसबेत	9	–	–	–	–	9 15.00
7.	कुम्हारी	1	–	3	–	–	4 6.67
8.	सिलाई	1	4	–	7	1	13 21.66
9.	वेल्ड़िग	–	4	–	–	–	4 6.67
10.	नाई की दुकान	–	–	1	–	–	1 1.67
11.	मिठाई	–	–	1	–	–	1 1.67
12.	साईकिल	–	–	1	–	–	1 1.67
13.	चर्म उद्योग	–	–	–	1	5	6 10.00
	योग	27	8	7	8	10	60

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक क्रमशः 13(21.67 प्रतिशत) सिलाई उद्योग का कार्य, 9(15.00प्रतिशत) बांसबेत का कार्य, 8 (13.33प्रतिशत) सुथारी का कार्य एवम् 6(10.00 प्रतिशत) लुहारी, 6(10.00 प्रतिशत) चर्म उद्योग में उत्पादन किया जा रहा था।

3.12 स्थानीय मांग के अनुरूप उत्पादित वस्तुओं का विवरण एवं विपणन का विवरण–

स्थानीय मांग के अनुरूप उत्पादित वस्तुओं की प्राप्त जानकारी का विवरण एवं विपणन का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र.सं.	जिला	उत्तरदाता संख्या	उत्पादन मांग		उत्पादित वस्तुओं का विपणन	
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1.	बांसवाड़ा	27	27	–	27	–
2.	बारां	8	8	–	8	–
3.	बीकानेर	7	7	–	7	–
4.	धौलपुर	8	6	2	6	–
5.	नागौर	10	10	–	10	–
	योग	**60**	**58**	**2**	**58**	**–**
	प्रतिशत		**96.67**	**3.33**	**100.00**	

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उत्पादन कर रही 60 इकाईयों में से 58(96.67 प्रतिशत) लाभार्थियों द्वारा बताया गया कि स्थानीय मांग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। व 2(3.33प्रतिशत) द्वारा उत्पादन तो किया जा रहा परन्तु मिट्टी के बर्तन के स्थान पर प्लास्टिक के बर्तन आदि का प्रचलन होने के कारण मांग के अनुरूप नहीं है।

3.13 उत्पादित वस्तुओं के विपणन के अन्तर्गत कुल उत्तरदाताओं में से 58 (100.00 प्रतिशत) का मत था कि उत्पादित वस्तुओं का विपणन हो जाता है व 2 (3.45प्रतिशत) का मत था कि नहीं हो रहा है। जिसका कारण शादी समारोह में प्लास्टिक के बर्तन काम में आने से मिट्टी के बर्तन काम में नहीं लिये जाते।जिन उत्तरदाताओं का उत्तर हाँ में था उनके द्वारा विपणन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र.सं.	जिला	उत्तरदाता संख्या	विपणन व्यवस्था						
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	बांसवाड़ा	27	5	2	1	21	–	–	–
2.	बारां	8	3	–	–	1	–	–	4
3.	बीकानेर	7	–	3	–	–	1	3	–
4.	धौलपुर	6	1	–	–	2	–	–	3
5.	नागौर	10	1	–	8	8	1	–	1
	योग	**58**	**10**	**5**	**9**	**32**	**2**	**3**	**8**
	प्रतिशत		**17.24**	**8.62**	**15.52**	**55.17**	**3.45**	**5.17**	**13.79**

नोट– एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

1– कार्य आर्डर पर किया जाता है।
2– ठेला लगाकर, गाँव में घूम कर बेचेते है।
3– स्थानीय व शहर के आने जाने वाली जनता खरीद लेती है।
4– साप्ताहिक हाट व मेले प्रर्दशनी में बेचते है।
5– स्थानीय स्तर पर घर–घर जाकर बेचते है।
6– स्थानीय लोग उधार पर लेते है, फसल पर पैसे देते है।
7– स्थानीय लोगों के कपड़ो की सिलाई करते है।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 58 उत्तरदाताओं में से क्रमशः 10(17.85प्रतिशत) ने आर्डर कार्य, 5(8.62 प्रतिशत) ने ठेला लगाकर, 9 (15.52 प्रतिशत) ने शहर व स्थानीय आने जाने वाली जनता के द्वारा खरीदने से, 32(55.17 प्रतिशत) ने साप्ताहिक हाट व प्रर्दशनी के द्वारा विपणन होना व्यक्त किया एवं 8(13.79 प्रतिशत) ने स्थानीय जनता के कपड़ो की सिलाई द्वारा विपणन होना बताया।

सर्वेक्षण में जिन उत्तरदाताओं ने नहीं में मत व्यक्त किया उनके द्वारा मिट्टी के बर्तन का उपयोग नहीं होना व्यक्त किया।

3.14 आय के संबंध में विवरण :

सर्वेक्षण में चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं से इकाई स्थापित करने के पश्चात् हो रही आय के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। चयनित 120 उत्तरदाताओं में से 117 (97.50प्रतिशत) द्वारा इकाई स्थापित की गयी एवं 3(2.50प्रतिशत) द्वारा नहीं की गई। स्थापित 117 इकाईयों में से 60(51.28प्रतिशत) द्वारा उत्पादन किया जा रहा था शेष 57(48.72प्रतिशत) में उत्पादन नहीं हो रहा था, सर्वेक्षण में जिन 60 इकाईयों द्वारा उत्पादन किया जाह रहा है उनके द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व व पश्चात् की आय निम्न तालिका में दर्शायी जा गई है–

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	जिला	चयनित उत्तरदाता	इकाई में उत्पादन		पूर्व की आय					पश्चात् की आय			
			हाँ	नहीं	600	600–900	900–1200	1200–1500	1500 से अधिक	2000	2000–5000	5000–8000	8000 से अधिक
1.	बांसवाड़ा	27	27	–	3	15	2	3	4	15	11	1	–
2.	बारां	17	8	8	–	–	4	4	–	7	1	–	–
3.	बीकानेर	26	7	19	–	–	–	4	3	3	2	2	–
4.	धौलपुर	28	8	18	1	4	1	1	1	–	4	3	1
5.	नागौर	22	10	12	–	–	–	–	10	–	4	4	2
	योग	120	60	57	4	19	7	12	18	25	22	10	3

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इकाई स्थापना से पूर्व 4(6.67प्रतिशत) को 600 रूपये माह आय,19(31.67प्रतिशत) को 600 से 900 रूपये प्रतिमाह, 7(11.66 प्रतिशत) को 900 से 1200 रूपये प्रतिमाह, 12(20.00 प्रतिशत) को 1200 से 1500 रूपये प्रतिमाह व 18(30.00 प्रतिशत) को 1500 से अधिक आय हो रही थी। इकाई स्थापना के पश्चात 25(41.67प्रतिशत) को 2000 रूपये प्रतिमाह, 22(36. 66प्रतिशत) को 2000–5000 रूपये तक, 10(16.66 प्रतिशत) को 5000 से 8000 रूपये तक व 3(5.00 प्रतिशत) को 8000 से 10,000 रूपये तक की आय हो रही थी। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजना से लाभ प्राप्त करने के उपरान्त स्थापित इकाई से आय सृजित हो रही है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान स्थापित इकाई हो रही आय से चयनित उत्तरदाताओं में से 52(86.67 प्रतिशत) सन्तुष्ट थे, 8 (13.33 प्रतिशत) नहीं थे जिसके निम्न कारण व्यक्त किये गये, हमेशा कार्य नहीं मिलता, बिक्री कम होने से आय कम होती है, गुजारा नहीं चलता व ग्राम में अधिक सम्भावना नहीं है।

3.15 स्थापित इकाई से हो रही आय से जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का विवरण–

क्षेत्रीय कार्य के दौरान लाभ प्राप्तकर्ताओं से स्थापित इकाई से हो रही आय से जीवन स्तर पड़े प्रभाव के संबंध में 54 (90.00प्रतिशत) का हाँ में मत था व 6(10. 00प्रतिशत) का ना में मत था। हाँ में मत व्यक्त करने वालों द्वारा बताया गया कि सामाजिक क्षेत्र में, रहन सहन में, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी प्रभाव पडना स्वीकारा।

3.16 ऋण की किस्त के संबंध में–

क्षेत्रीय कार्य के दौरान स्थापित इकाई से हो रही आय से ऋण की किस्तो के भुगतान के संबंध में 44(73.33 प्रतिशत) का उत्तर था कि किस्त चुक जाती है, 16 (26.67प्रतिशत) का उत्तर ना में था। नहीं में उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि हमेशा कार्य नहीं मिलने, काम कम होने से आय कम खर्च अधिकहोने के कारण किस्त चुकाने में कठिनाई होती है। ऋण प्राप्त 119 इकाई में से 60 इकाईयों में उत्पादन हो रहा था शेष 59 (49.57प्रतिशत) इकाईयाँ बन्द थी जिससे न कोई उत्पादन हा रहा है न कोई आय जिसके कारण ऋणों को चुकारा नहीं हो रहा था।

3.17 ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ–

सर्वेक्षण में चयनित उत्तरदाताओं से ऋण प्राप्त करने में आयी कठिनाइयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी जिसके अन्तर्गत में 9(7.50प्रतिशत) ने हाँ में उत्तर दिया व 111(92.50प्रतिशत) ने ना में उत्तर दिया।

3.18 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं के विचारों का विवरण निम्न मदों में दिया जा रहा है–

सर्वेक्षण में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में चयनित 38 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं में से 37(97.37प्रतिशत) का उत्तर था कि क्षेत्र में योजना चलाई जा रही है व 1(2.63प्रतिशत) का मत था कि नहीं चलाई जा रही है। हाँ में मत प्रकट करने वाले शत प्रतिशत का उत्तर था कि छोटे–छोटे ग्रामीण उद्योगों हेतु ऋण/ अनुदान देकर लाभान्वित किया जाता है, व गरीब काश्तकारों का योजना की गाइड लाईन अनुसार चयन किया जाता है। हाँ में मत प्रकट करने वाले उत्तरदाताओं ने बताया कि पिछले कई वर्षो से जिला उद्योग केन्द्र में पद खाली है। योजना के ठीक प्रकार से क्रियान्वयन के संबंध में 19(51.35प्रतिशत) का उत्तर हाँ में व 6(16.22प्रतिशत) ने ना मे मत व्यक्त किया शेष 12(32.43प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। ना में उत्तर देने वालों में क्रमशः समय पर किस्त प्राप्त नहीं होना, अन्य कार्य में खर्च हो जाना। छोटे स्तर के उद्योग लगाया जाना है। मांग के अनुरूप उद्योगों का चयन नहीं होना, योजना की पूरी राशि उद्यमी को प्राप्त नहीं होना, जिला उद्योग की तरफ से पंचायत समिति को किसी प्रकार की जानकारी नहीं देना कारण बताये।

3.19 उद्योग स्थापना हेतु ऋण–

चयनित उत्तरदाताओं में से 37(97.37 प्रतिशत)का उत्तर हाँ में था, 1 (2.63प्रतिशत) का मत ना में था। हाँ में मत प्रकट करने वाले शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि ऋण पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जानकारी दी गयी कि ऋण पर 25 से 30 प्रतिशत तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। सर्वेक्षण में जानकारी दी गयी कि इकाई की लागत का 70 से 95 प्रतिशत तक ऋण स्वीकृत किया जाता है। चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं में से 9 (23.68प्रतिशत) ने व्यक्त किया कि अनुदान नकद रूप में दिया जाता है व 29 (76.32प्रतिशत) ने नकद नहीं दिया जाना बताया। नहीं में उत्तर देने वालों ने बताया कि अनुदान व ऋण लाभार्थी के बचत खाते में रेखांकित चैक द्वारा व 25 प्रतिशत ऋण चुकाने पर जमा किया जाता है।

3.20 ऋण पर ब्याज के संबंध में–

चयनित 38 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त किया गया कि नियमानुसार व 12 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक ब्याज वसूला जाता है।

3.21 बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की अवधि–

शत प्रतिशत अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं का मत था कि खादी बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा एक से तीन माह में ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। चयनित उत्तरदाताओं में से 37(97.37प्रतिशत) ने परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वीकृत किया जाता है व 1(2.63प्रतिशत) ने नहीं में मत व्यक्त किया। शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि ऋण राशि नकद रूप में नहीं दी जाती बाकि लाभार्थी के बचत बैंक खाते में रेखांकित चैक द्वारा भुगतान किया जाता है।

3.22 ऋण की किस्तों के संबंध में–

चयनित 38 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं से ऋण की किस्तों की जानकारी प्राप्त की गयी जिसके अनुसार 18(47.37प्रतिशत) ने हाँ में मत व्यक्त किया व 19 (50.00प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया। ना में मत व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं में से 5(26.32प्रतिशत) ने क्षेत्र में 10 वर्षो से प्राकृतिक स्थिति अनुकूल नहीं होने, अतिदृष्टि होने से किस्तों का भुगतान अनियमित है, 3(15.79प्रतिशत) ने निर्धारित राशि इकाई में नहीं लगाकर घरेलू कार्य में खर्च करते है, 6(31.57प्रतिशत) ने अनियमित रूप से स्वेच्छा से, 7 (77.78प्रतिशत) ने आय पर्याप्त न होना, प्रत्येक 3(5.78प्रतिशत) ने मार्केटिंग व्यवस्था कमजोर होने, ब्याज दर अधिक होना कारण व्यक्त किया शेष 1(5.26प्रतिशत) ने वस्तुओं की बिक्री नहीं होना व्यक्त किया गया, 1(5. 26प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्षेत्रीय कार्य के दौरान बताया गया कि ऋण चुकाने की अवधि 5 वर्ष से 7 वर्ष तक का निर्धारित की गयी है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित 38 उत्तरदाताओं में से 22 (57.90प्रतिशत) ने हाँ में उत्तर दिया व

13(34.21प्रतिशत) ने ना में उत्तर दिया एवम् 3(7.89प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिन उत्तरदाताओं ने ना में मत व्यक्त किया उनके द्वारा बताया गया कि ब्याज दर फ्लोटिग दर पर है, नियमानुसार है।

3.23 **इकाई स्थापित के संबंध में–**

चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं में से 37(97.37प्रतिशत) ने हाँ में मत व्यक्त किया कि ऋण उपरान्त इकाई स्थापित की गयी व 1 (2.63प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया। चयनित में से 35(92.11प्रतिशत) ने बताया कि इकाई का भौतिक सत्यापन किया जाता है, 2(5.26प्रतिशत) ने नहीं एवम् 1(2.63प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.24 **स्थापित इकाई की वर्तमान स्थिति के संबंध में–**

चयनित 38 उत्तरदाताओं में से 21(55.26प्रतिशत) का मत था कि वर्ष 96–98 में स्थापित इकाई चालू है। शेष 16(42.11प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया व 1 (2.63प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया चालू नहीं है। के कारण के बारे में 16 उत्तरदाताओं में से 3(18.75प्रतिशत) ने ऋण से स्थापित इकाईया वर्तमान में 65 प्रतिशत कार्यशील व शेष मौसमी है, 10(62.50प्रतिशत) ने ऋण अन्य कार्य में काम में लेने से 80 प्रतिशत इकाईयाँ बन्द है। 2(12.50प्रतिशत) लाभार्थी ने इकाई प्रारम्भ नहीं की, 4(25.00प्रतिशत) ने तैयार माल की बिक्री का अभाव, 1(6.25प्रतिशत) ने निरन्तर अकाल, उधार में पैसा फसना, अन्य कार्यो जैसे मजदूरी हेतु जाना इत्यादि कारण बताये गये।

3.25 सर्वेक्षण में चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं में से 21 (55.26प्रतिशत) का मत था कि जीवन स्तर पर सकारात्मक पड़ा शेष 16(42.11प्रतिशत) ने नहीं में मत व्यक्त किया व 1(2.63प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। सर्वेक्षण में जीवन स्तर में सुधार के संबंध में मत व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं ने सामाजिक स्तर में, रहन सहन स्तर में, किस्त चुकाने में प्रभाव स्वीकारा। जिन उत्तरदाताओं ने ना में मत व्यक्त किया उनके द्वारा एक से अधिक कारण बताये गये जिनके अनुसार 8 (50.00प्रतिशत) ने ऋण का सद्उपयोग नहीं करना, 5(31.25प्रतिशत) ने प्रशिक्षण का अभाव, 4(25.00प्रतिशत) ने इकाई स्थापित नहीं की एवं चुनाव सही नहीं, 2 (12.50प्रतिशत) ने इकाई बन्द व सहायक सामग्री नहीं मिलना इत्यादि कारण बताये गये।

3.26 अन्वेषकों द्वारा की गयी चयनित इकाईयों के अवलोकन का विवरण निम्न मदों में दर्शाया जा रहा है–

क्र.सं	चयनित जिला	अवलोकित इकाईयों की संख्या
1.	बांसवाड़ा	27
2.	बारां	14
3.	बीकानेर	26
4.	धौलपुर	28
5.	नागौर	22
	योग	**117**

3.27 निम्न तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल 117 इकाईयों का अवलोकन किया गया। अवलोकित इकाईयों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

क्र.सं.	अवलोकित इकाई का नाम	वर्षवार विवरण				
		1996–97	1997–98	1998–99	कुल	प्रतिशत
1.	सुथारी	10	–	1	11	9.40
2.	लुहारी	7	2	–	9	7.69
3.	रसवन्ती	2	–	–	2	1.71
4.	पत्थर कार्य	1	–	–	1	0.86
5.	कुम्हारी	5	2	–	7	5.98
6.	बांसबेत	33	–	–	33	28.20
7.	कला	2	–	–	2	1.71
8.	तारपत्ती	2	–	–	2	1.71
9.	सिलाई	24	3	–	27	23.07
10.	वेल्ड़िग	1	–	–	1	0.86
11.	नाई की दुकान	3	–	–	3	2.56
12.	हॉलो ब्लाक	–	2	–	2	1.71
13.	बिजली दुकान	3	–	–	3	2.56
14.	साईकिल रिपेयर	1	–	–	1	0.86
15.	मिठाई दुकान	2	–	–	2	1.71
16.	चर्म उद्योग	5	3	–	8	6.83
17.	धोबी	1	–	–	1	0.86
18.	मसाला	–	1	–	1	0.86
19.	मशीनरी	1	–	–	1	0.86
	योग **प्रतिशत**	**103** **88.03**	**13** **11.11**	**1** **0.86**	**117** **100**	**100**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 117 इकाईयों में से सबसे अधिक क्रमशः बांसबेत 33(28.20 प्रतिशत), 27(23.07 प्रतिशत) सिलाई, 11 (9.40 प्रतिशत) सुथारी इकाईयाँ लगाई गयी । वर्षवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि चयनित इकाईयों में से 103 (88.03 प्रतिशत) वर्ष 1996–97 में स्थापित की गयी।

अध्याय चतुर्थ

निष्कर्ष एवं सुझाव

4.0 निष्कर्ष :

1. योजनान्तर्गत वर्ष 1996–97 से 1997–98 तक की राज्य स्तरीय भौतिक लक्ष्य के विपरीत 94.30 प्रतिशत प्रगति रहीं, अनुसूचित जाति की प्रगति 81.93 प्रतिशत रही।
2. योजनान्तर्गत आवंटित राशि का शत–प्रतिशत उपयोग किया गया।
3. चयनित जिलों में लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति 93.56 प्रतिशत रही। क्षेत्र में योजनान्तर्गत सबसे अधिक बांसबेत, सिलाई, कारपेन्ट्री, चर्म उद्योग एवं लुहारी के उद्योग स्थापित किये गये।
4. चयनित जिलों को आवंटित राशि का शत–प्रतिशत उपयोग किया गया।
5. चयनित जिलों की 35 पंचायत समितियों में 1105 को लाभान्वित कर राशि 127.04 लाख का ऋण वितरित किया गया जिस पर राशि 45.33 लाख की मार्जिन मनी की राशि स्वीकृत की गयी जो 35.68 प्रतिशत है। जबकि योजना में निहित मानदण्डनुसार यह 25 प्रतिशत है।
6. चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं में से सबसे अधिक उत्तरदाता 25 से 50 आयु वर्ग के थे।
7. चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं में से सबसे अधिक लाभप्राप्तकर्ता साक्षर व उससे कम निरक्षर थे। उसके बाद प्राइमरी, मिडिल व मैट्रिक स्तर के थे। सबसे कम स्तानक योग्यता वाले थे।
8. सबसे अधिक योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा लिया गया है एवं 97.50 प्रतिशत लाभान्वितों द्वारा क्षेत्र में इकाई स्थापित की गयी ।
9. चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं में से सबसे अधिक बांसबेत की इकाई स्थापित की गयी । इसके बाद सिलाई, सुथारी व लुहारी बांसबेत, कुम्हारी, चर्म उद्योग की इकाई स्थापित की गयी ।

10. चयनित 120 लाभप्राप्तकर्ताओं में से 119(99.17 प्रतिशत) लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा इकाई स्थापना हेतु ऋण लिया गया। 90.83 प्रतिशत द्वारा ऋण को उपयुक्त बताया गया।
11. चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं में से 42.86 प्रतिशत द्वारा इकाईयों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। शेष 56.41 प्रतिशत द्वारा नहीं किया गया।
12. अधिकतर इकाईयों में परिवार के सदस्यों द्वारा कार्य किया जा रहा था। नियुक्त किये गये कामगारों में से कुशल कामगार को 1200/– से 2000 प्रतिमाह एवं अकुशल को 500 से 1000 तक पारिश्रमिक दिया जा रहा है।
13. आधुनिकीकरण की गयी शत प्रतिशत इकाईयों में कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ा जिसके अन्तर्गत कार्य आसानी से कम समय में, कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य अधिक होना इत्यादि।
14. सर्वेक्षित इकाईयों में से 51.28 प्रतिशत इकाईयों में उत्पादन हो रहा था। शेष 48.72 प्रतिशत में नहीं हो रहा था।
15. सर्वेक्षित इकाईयों में से सिलाई का कार्य, बांसबेत का कार्य,सुथारी का कार्य व लुहारी का कार्य, चर्म उद्योग में उत्पादन हो रहा था।
16. सर्वेक्षण में पाया गया कि क्षेत्र में 96.67 प्रतिशेतइकाईयों द्वारा क्षेत्र की मांग के अनुरूप उत्पादन किया जा रहा है।
17. उत्पादित माल का विपणन आर्डर पर, ठेला लगा कर, स्थानीय व शहर आने जाने वाली जनता द्वारा खरीद साप्ताहिक हाट व मेले में प्रदर्शनी के द्वारा किया जाता है।
18. क्षेत्र में स्थापित की गयी इकाई से आय सृजित हो रही है एवं हो रही आय से संतुष्ट थे।
19. स्थापित इकाई से हो रही आय से जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ना स्वीकार है। जिसकी वजह से ऋण की किश्त का चुकाने में, रहन सहन में, सामाजिक स्तर में प्रभाव पड़ा है।
20. योजनान्तर्गत ऋण व अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अनुदान नकद न दिया जाकर लाभार्थी के बचत खाते में रेखांकित चैक द्वारा 25 प्रतिशत ऋण चुकाने के बाद जमा किया जाता है। ऋण पर 12 से 17 प्रतिशत तक ब्याज वसूला जाता है।
21. परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऋण स्वीकृत किया जाता है।
22. स्थापित इकाईयों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। चयनित 55.26 प्रतिशत अधिकारी/गैर अधिकारियों के अनुसार स्थापित इकाई चालू है।
23. शत प्रतिशत चयनित जिलों में योजना में निहित पात्रता के आधार पर लाभप्राप्तकर्ता का चयन एवं ऋण स्वीकृत यिका गया/जाता है।

4.1 कठिनाईयाँ :

1. ऋण प्राप्त करने में बहुत समय लगता है क्योंकि औपचारिताऐं बहुत है।
2. अनुदान कम है ब्याज अधिक है।
3. पर्याप्त ऋण नहीं मिलता लाभार्थी स्वयं को व्यवस्था करनी पड़ती है।

4.2 सुझाव :

1. औपचारिकता कम कर ऋण शीघ्र दिलवाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. अनुदान राशि बढ़ायी जानी चाहिए।
3. ऋण राशि पर्याप्त मात्रा में स्वीकृत की जानी चाहिए जिससे लाभार्थी को अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़े ।

.

जिलेवार लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

(घटते हुए क्रम में)

परिशिष्ट–अ

क्र.सं.	जिला	प्रगति 1996–97 से 1997–98 तक	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	जयपुर	455	634
2.	उदयपुर	556	630
3.	टोंक	207	612
4.	दौसा	678	544
5.	जोधपुर	400	447
6.	बांसवाड़ा	400	440
7.	अलवर	360	381
8.	अजमेर	415	343
9.	चूरू	197	271
10.	बीकानेर	268	263
11.	डूंगरपुर	282	261
12.	भीलवाड़ा	335	238
13.	सवाई माधोपुर	194	220
14.	झुन्झूनु	252	213
15.	राजसमन्द	127	213
16.	चित्तौड़गढ़	387	208
17.	बाड़मेर	182	205
18.	सीकर	257	194
19.	भरतपुर	145	189
20.	पाली	260	178
21.	नागौर	340	163
22.	श्रीगंगानगर	219	143
23.	कोटा	169	133
24.	जालौर	112	131
25.	बूंदी	172	128
26.	झालावाड़	205	124
27.	धौलपुर	320	88
28.	सिरोही	174	66
29.	बारां	108	65
30.	जैसलमेर	174	53

खादी ग्रामोंद्योग द्वारा स्थापित इकाईयों का जिलेवार एवं जातिवार विवरण

परिशिष्ट–ब

बारां

क्र.सं.	उद्योग का नाम	वर्ष					
		1996–97			1997–98		
		अनु.जाति	जनजाति	अन्य	अनु.जाति	जनजाति	अन्य
1.	बांसबेत	6	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
2.	लुहारी	–	–	2	शून्य	शून्य	शून्य
3.	नाई	–	–	5	शून्य	शून्य	शून्य
4.	भारतीय मिठाई	–	–	1	शून्य	शून्य	शून्य
5.	चर्म उद्योग	2	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
6.	इलेक्ट्रोनिक	–	–	1	शून्य	शून्य	शून्य
7.	सिलाई	3	–	6	शून्य	शून्य	शून्य
8.	धोबी	1	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
9.	रेडीमेट वस्त्र	1	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
10.	झाड़ू	3	–	–	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कारपेन्टी	–	–	2	शून्य	शून्य	शून्य
12.	लाख चूडी	–	–	2	शून्य	शून्य	शून्य
13.	वेल्डिग	–	–	1	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	16	–	20	शून्य	शून्य	शून्य

बीकानेर

क्र.सं.	उद्योग का नाम	वर्ष					
		1996–97			1997–98		
		अनु.जाति	जनजाति	अन्य	अनु.जाति	जनजाति	अन्य
1.	बांसबेत	20	–	–	7	–	–
2.	होलो ब्लाक	11	–	9	1	–	1
3.	लुहारी	4	–	7	–	–	1
4.	कुम्हारी	–	–	20	–	–	–
5.	रसवंती	1	–	–	–	–	–
6.	नाई	–	–	13	–	–	–
7.	सुथारी	7	–	5	–	–	–
8.	भारतीय मिठाई	–	–	5	–	–	1
9.	आलू चिप्स/आटा दाल	5	–	19	1	–	7
10.	ज्वेलरी	–	–	5	–	–	–
11.	ईट भट्टा	4	–	3	–	–	2
12.	चर्म उद्योग	7	–	–	10	–	–
13.	इलेक्ट्रोनिक	2	–	5	–	–	3
14.	सिलाई	24	–	29	1	–	5
15.	फोटो फ्रेमिंग	2	–	–	–	–	–
16.	साईकिल मरम्मत	–	–	2	–	–	1
17.	धोबी	1	–	–	–	–	–
18.	डीजल इंजन मरम्मत	–	–	1	–	–	–
19.	रस्सी बुनाई	–	–	–	–	–	1
	योग	88	–	123	20	–	22

धौलपुर

क्र.सं.	उद्योग का नाम	वर्ष					
		1996–97			1997–98		
		अनु.जाति	जनजाति	अन्य	अनु.जाति	जनजाति	अन्य
1.	बांसबेत	20	1	3	–	–	1
2.	अनाज	1	–	–	–	–	–
3.	लुहारी	1	–	2	–	–	–
4.	कुम्हारी	–	–	4	–	–	–
5.	सुथारी	–	–	1	–	–	1
6.	स्टोन कटिग	–	–	–	–	–	3
7.	चर्म उद्योग	4	–	–	2	–	–
8.	इलेक्ट्रोनिक	–	–	–	–	–	1
9.	सिलाई	11	1	2	–	–	–
10.	आटा चक्की	–	–	–	1	–	–
	योग	37	2	12	3	–	6

नागौर

क्र.सं.	उद्योग का नाम	वर्ष					
		1996–97			1997–98		
		अनु.जाति	जनजाति	अन्य	अनु.जाति	जनजाति	अन्य
1.	बांसबेत	9	–	–	6	–	–
2.	लुहारी + सुथारी	5	–	34	4	–	6
3.	कुम्हारी	–	–	11	–	–	–
4.	नाई(सेवा)	2	–	19	3	–	3
5.	स्पेलर	–	–	–	–	–	1
6.	भारतीय मिठाई	–	–	2	–	–	1
7.	ज्वेलरी	–	–	2	–	–	–
8.	चूना भट्टा	–	–	5	–	–	3
9.	चर्म उद्योग	52	–	–	11	–	1
10.	इलेक्ट्रोनिक	–	–	–	–	–	1
11.	सिलाई	5	–	27	–	–	–
12.	मोमबत्ती	–	–	1	–	–	–
13.	रस्सी बुनाई	–	–	–	1	–	–
14.	मसाला	2	–	9	1	–	6
15.	लाख चूडी	–	–	1	–	–	–
	योग	75	–	111	26	–	22

बांसवाडा

क्र.सं.	उद्योग का नाम	वर्ष					
		1996–97			1997–98		
		अनु.जाति	जनजाति	अन्य	अनु.जाति	जनजाति	अन्य
1.	बांसबेत	80	94	–	14	3	–
2.	होलो ब्लाक	2	–	–	–	–	–
3.	लुहारी	1	30	10	–	7	6
4.	कुम्हारी	–	–	3	–	–	–
5.	रसवंती	3	4	–	–	1	–
6.	नाई	–	–	8	–	–	–
7.	सुथारी	3	73	5	–	10	6
8.	भारतीय मिठाई	–	–	1	–	1	–
9.	आलू चिप्स/आटा दाल	–	3	2	1	3	5
11.	ईट भट्टा	–	1	–	–	1	–
12.	चर्म उद्योग	22	–	1	3	1	–
13.	इलेक्ट्रोनिक	–	–	3	–	–	4
14.	सिलाई	8	23	5	–	1	–
15.	फोटो फ्रेमिंग	–	1	–	–	–	–
16.	साईकिल मरम्मत	1	1	1	1	1	–
17.	डीजल इंजन मरम्मत	–	–	–	–	–	2
18.	रस्सी बुनाई						
19.	ताडपत्ती	11	17	1	3	–	–
20.	मसाला	–	–	–	–	1	2
21.	रेडीमेट वस्त्र	1	–	–	1	–	–
22.	गुड खंडसारी	–	–	1	–	–	–
23.	फल प्रशोधन	–	–	3	–	–	–
24.	आर्ट केयर	3	1	1	–	–	–
25.	कशीदा	–	1	–	–	1	–
26.	छाता	–	1	–	–	1	–
27.	झाडू	2	–	–			
28.	आटा चक्की	–	3	1	–	5	1
	योग	137	253	46	23	37	26